# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

**पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0**

प्रकरण संख्या – 128 / 2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

1 – मु0 नन्दू पत्नी भूरा कहार निवासी शाहपुरा
2 – 5 भैरू, मु0 मोहनी, रामा, मु0 लादी पिता भूरा कहार निवासी शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1 – बजरंग पुत्र हीरा तेली निवासी शाहपुरा
2 – धीसा पुत्र भोलू धोबी निवासी शाहपुरा
3 – सोहनी देवी पत्नी रामलाल कहार निवासी शाहपुरा

विपक्षीगण

उपस्थिति – **श्री राजेश वर्मा**
**अधिवक्ता प्रार्थीगण**

## –:: निर्णय ::–

दिनांक– 11 / 01 / 21

प्राथीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के [illegible] विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीगण के ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा में स्थित **आराजी नम्बर 1067 रकबा 0.60 है0, 7176 रकबा** 0.31 है0, **7277 रकबा 0.44 है0, 7279 रकबा 0.10 है0** कुल **किता 4** रकबा **1.45 है0** हैक्टेयर के प्रार्थीगण [illegible] **संयुक्त खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के [illegible] आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता [illegible] पत्थरगढी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण [illegible] सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई [illegible] हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम शाहपुरा संवत 2076 से 2079** [illegible] अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार** दर्ज होकर [illegible] आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] जाकर मोजा **शाहपुरा** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात **किता 4 रकबा 1.45 है0 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मोके पर अन्य कोई विवाद [illegible] हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए [illegible] **ऑफ सीजन में** किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। [illegible] हेतु कमिश्नर फीस 300 / – रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा [illegible] प्राप्त करे। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो [illegible] तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11 / 01 / 21 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि – तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान [illegible] में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.